

—:: प्रशासनिक स्वीकृति आदेश ::—

आयुक्त नगर परिषद जालोर व अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका सांचोर से अनुशंषा सहित नगर परिषद जालोर व नगर पालिका क्षेत्र सांचोर के प्रस्ताव प्राप्त होने पर मानसून वर्ष 2020 (संवत् 2077) हेतु मानसून अवधि वर्ष 2020 (संवत् 2077) में अत्यधिक वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों (नगर निकाय सड़कों) की तात्कालिक मरम्मत/पुनरुत्थान हेतु आ.प्र.सहा.एवं.ना.सु.वि. जयपुर को भेजे गए प्रस्तावों पर विभाग द्वारा जारी स्वीकृति आदेश एफ 8(4)आ.प्र.एवं.सहा./प्रस्ताव/बाढ/20/13715-21 दिनांक 03.11.2020 की पालना में राज्य आपदा मोचन निधि से निम्नलिखित नगर निकाय क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों की उनके आगे अंकित राशि अनुसार प्रशासनिक स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। नगर निकाय क्षेत्रवार अनुमोदित क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए कार्यकारी एजेन्सी जालोर के लिये नगर परिषद जालोर व सांचोर के लिये नगर पालिका सांचोर रहेगी:-

क्र.सं.	तहसील	नगर परिषद/नगर पालिका क्षेत्र	तात्कालिक मरम्मत हेतु राशि (लाखों में)
1	जालोर	नगर परिषद जालोर	249.30
2	सांचोर	नगर पालिका सांचोर	158.06
		महा योग	407.36

अक्षरे रुपये चार करोड सात लाख छत्तीस हजार रुपये मात्र।

उक्त व्यय मांग लेखा मद 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहते 02-बाढ चकवात आदि 106-खराब सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनर्स्थापना (08) (बाढ क्षेत्र में खराब सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना) (01) सड़कों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना, 21-अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेंस) प्रतिबद्ध के अन्तर्गत वहन किया जावेगा।

स्वीकृति की प्रमुख शर्त :-

- 1 वि0ले0 नियमों, एवं एस0डी0आर0एफ0/एन0डी0आर0एफ0 के तहत भारत सरकार से जारी संशोधित नियम/ नॉर्म्स दिनांक 8.4.2015 तथा आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुसार करेगे।
- 2 संयुक्त शासन सचिव आ.प्र.सहा.एवं.ना.सु.वि. राजस्थान जयपुर की स्वीकृति क्रमांक एफ 8(4) आ.प्र.एवं.सहा./प्रस्ताव / बाढ / 20/ 13715-21 जयपुर दिनांक 03.11.2020 की शर्तों की पालना सुनिश्चित की जावे।
- 3 कार्य गुणवत्तापूर्ण करवाया जाकर उपखण्ड स्तरीय समिति से सत्यापन करवाकर, रिपोर्ट विल के साथ भिजवाना सुनिश्चित की जावे।
- 4 इस स्वीकृति के आधार पर कार्यकारी एजेन्सी तकनीकी स्वीकृति जारी कर इस कार्यालय को प्रस्तुत करेगी।
- 5 शासन सचिव आ.प्र.सहा.एवं.ना.सु.वि. राजस्थान जयपुर के दिशा निर्देश पत्रांक एफ 8(1) आ.प्र.एवं.सहा./प्रस्ताव / बाढ / 20/ 12384-85 जयपुर दिनांक 24.09.2020 की पालना सुनिश्चित की जावे।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलेक्टर

जालोर

दिनांक 09/12/2020

क्रमांक:/एफ 10()आ.प्र.एवं.सहा./2020/8927-58

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

- 1 शासन सचिव, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 2 जिला पुलिस अधीक्षक, जालोर।
- 3 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जालोर।
- 4 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, प्रशासन, जालोर।
- 5 अधीक्षण अभियन्ता, सानिवि वृत्त, जालोर।
- 6 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालोर।
- 7 उपखण्ड अधिकारी, जालोर, सायला, आहोर, रानीवाडा, जसवन्तपुरा, सांचोर, भीनमाल।
- 8 अधिशाषी अभियन्ता, जलसंसाधन विभाग जालोर।
- 9 विकास अधिकारी, पंचायत समिति जालोर, सायला, आहोर, रानीवाडा, जसवन्तपुरा, सांचोर, भीनमाल।
- 10 तहसीलदार, जालोर, सायला, आहोर, रानीवाडा, जसवन्तपुरा, सांचोर, भीनमाल।
- 11 आयुक्त नगर परिषद जालोर/ अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका सांचोर।
- 12 जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, जालोर।
- 13 निजी सहायक, जिला कलेक्टर, जालोर।

प्रभारी अधिकारी
(सहायता) जालोर